कार्यालय कलेक्टर, (महिला एवं बाल विकास विभाग)

जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा छ०ग०

Phone No. 07727-223566, E-Mail ID :- dpobalodabazar@gmail.com

//विज्ञापन//

क्रमांक/ 1421 /मबावि/स्था./2023–24 बलौदाबाजार दिनाँक 02-06-2023

छ.ग. शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर , जिला रायपुर का आदेश कमांक एफ 1–16/2021/मबावि/50 नवा रायपुर दिनांक 12.05.2023 द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला–बलौदाबाजार –भाटापारा हेतु सहायक ग्रेड–03 तृतीय श्रेणी (लिपिकीय) (अराजपत्रित) एवं भृत्य चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती के माध्यम से किये जाने के फलस्वरूप निम्नांकित तालिका दर्शाये विवरण अनुसार रिक्त पदों की पूर्ति हेतु इच्छुक उम्मीदवार केवल पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से दिनांक 05.06.2023 से 23.06.2023 तक सायं 5:30 बजे तक प्रेषित कर सकते है। लिखित में आवेदन सीधे कार्यालय में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

क.	श्रेणी	रिक्त पदों की कुल संख्या	आरक्षण रोस्टर अनुसार रिक्त पदों की संख्या				कुल रिक्त पदों में से महिलाओं के लिए आरक्षित			
			समान्य	अनु. जाति	अनु. जनजाति	अ.पि. वर्ग	समान्य	अ. जाति	अनु. जनजाति	अ.पि. वर्ग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सहा. ग्रेड–03 तृतीय श्रेणी (अकार्यपालिक)	3	1	1	0	1	1	0	0	0
2	भृत्य चतुर्थ श्रेणी	4	3	0	0	1	1	0	0	0
	योग	7	4	1	0	2	2	0	0	0

महत्वपूर्ण टीप :–

1. आवश्यकता अनुसार उपरोक्त पदों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि की जा सकेगी।
2. उपरोक्त सभी नियुक्ति एवं चयन प्रकिया माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के एल.एल.पी.(सी.) कमांक 19668/2023 के अंतिम आदेश के अधीन होगी।
3. चयन हेतु अंतिम निर्णय लेने का अधिकार, कलेक्टर, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा को होगा।

पद–सहायक ग्रेड–03 कुल रिक्त पद (03)
वेतन बैण्ड 5200–20200/ग्रेड वेतन 1900 लेवल (4)

पद–भृत्य कुल रिक्त पद (04)
वेतन बैण्ड 4750–7440/ग्रेड वेतन 1300 लेवल (01)

शैक्षणिक योग्यताः– सहा. ग्रेड–03 हेतु।

1. मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल/बोर्ड/मेट्रिक से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण।

   अथवा

   पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्राथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।
2. मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र।

3. कंप्यूटर में हिन्दी टायपिंग का 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)।

शैक्षणिक योग्यताः– मृत्य हेतु ।

1. पांचवी परीक्षा उत्तीर्ण।

<u>नियम एवं शर्ते :–</u>

1. अभ्यर्थी भली भॉति शर्तो का अवलोकन कर समक्ष कर आवेदन करें।

अंतिम चयन सूची शैक्षणिक योग्यता 75 प्रतिशत, 15 अंक अनुभव एवं कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर चयन किया जाएगा।

1. सहायक ग्रेड–03 हेतु पात्र अभ्यर्थियों के कुल 100 अंक होंगे।
2. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12 वीं में प्राप्त प्रतिशत का 75 अंक।
3. पद अनुरूप वांछित अनुभव के लिए शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय द्वारा जारी अनुभव के लिए प्रतिवर्ष 02 अंक अधिकतम 10 वर्ष हेतु 15 अंक दिया जावेगा। अनुभव प्रमाण पत्र विधिवत संबंधित कार्यायल से जारी होना चाहिए।

   कौशल परीक्षा हेतु 10 अंक निर्धारित है जिसमें पात्र अभ्यर्थी हेतु निर्धारित अंक का 50 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करता है वह सहा. ग्रेड–3 हेतु पात्रता की श्रेणी में नहीं रहेगा।

2. शासन के नियमानुसार आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है।

निर्धारित आयु सीमाः– उपरोक्त सभी संवर्गीय पदों के लिए अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01/01/2023 को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। उच्चतर आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों के तहत् निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी –

03 यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का होकर राज्य का मूल निवासी है, तो उसे उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी जायेगी।

04. ऐसे अभ्यर्थी को जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी परंतु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

05. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 के अनुसार महिलाओं के लिए उच्चतर आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट होगी ।

06. विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी।

07. परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत अपने नाम पर ग्रीनकार्ड धारण करने वाले आवेदकों (छ.ग. राज्य के आवेदक) को उच्चतर आयु सीमा में 2 वर्ष की छुट होगी ।

08. आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंर्तजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के संवर्ग सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन कमांक सी–3/10/85/3/1 दिनांक 28.06.1985 के संदर्भ में उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी ।

09. राज्य (छत्तीसगढ़ राज्य) में प्रचलित " **शहीद राजीव पाण्डेय पुरस्कार, गुण्डाधुर सम्मान", महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव** सम्मान प्राप्त खिलाडियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को सामान्य उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

10. विकलांग आवेदको को उच्चतर आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी । बशर्ते विकलांगता 50 प्रतिशत से अधिक हों, राज्य मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी वैद्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

11. छ.ग.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ–3–2/2002/1–3 दिनांक 30/01/2012 के अनुसार संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को शासकीय सेवा में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की हैं । यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी ।

<u>महत्वपूर्ण टीप :–</u>

(1) छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र कमांक एफ–3/2002/1/3 दिनांक 15/06/2010 के द्वारा जारी किये गये निर्देश के पैरा (3) के अनुसार छ.ग. राज्य के स्थानीय निवासी आवेदकों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी, परंतु उक्त परिपत्र के पैरा (5) के अनुसार अन्य विशेष वर्ग जैसे छ.ग. के निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमिलेयर) महिला आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है, वे छूट यथावत् लागू रहेगी तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय–समय पर जारी निर्देशों के आधार पर उम्मीदवारों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करने के बाद शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए।

1 आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

2 आवेदक का छत्तीसगढ़ राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा।

3. आवेदक को अपना पासपोर्ट साईज का नवीनतम फोटो चस्पा कर स्व प्रमाणित करना अनिवार्य है।

4. आवेदक विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक एवं अर्हताओं के अनुरूप अपनी अर्हता की जांच स्वयं सुनिश्चित कर ले एवं अर्हता की समस्त शर्तो को पूरा करने की स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही अपना आवेदन करें। प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नही होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है, तथा चयन के किसी भी स्तर पर

छत्तीसगढ़ रोजगार समाचार

आवेदक के अपात्र पाये जाने पर बिना कोई पूर्व सूचना दिये उसकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जावेगी।

5. अभ्यार्थी को शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत हैं उन्हें नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6. निर्धारित संख्या में अर्हताधारी अभ्यार्थियों को आवश्यकता अनुसार प्रायोगिक (दक्षता/कौशल) परीक्षा के लिए उपस्थित होने की सूचना दी जावेगी।

7. चयन उपरांत यदि कोई जानकारी असत्य पायी जाती है तो की गयी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी तथा संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।

8. विज्ञापन में सीधी भर्ती के संबंध में समय–समय पर छ.ग. शासन द्वारा दिये गये निर्देश वं शर्ते लागू होगी।

9. भर्ती प्रकिया के दौरान किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय लेने का संपूर्ण अधिकार नियुक्तिकर्ता अधिकारी अर्थात् कलेक्टर बलौदाबाजार–भाटापारा को होगा।

10. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को प्रायोगिक परीक्षा/चयन पश्चात् उपस्थित होने के समय उच्च स्तरीय छानबीन समिति रायपुर या जिला समिति द्वारा जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य हैं ।

11. चयनित उम्मीदवार को छ.ग. शासन वित्त विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर नवा रायपुर छ.ग. के वित्त निर्देश 21/2020 एवं परिपत्र कमांक/372/260/वि/नि/चार, 2020 दिनांक 29.07.2020 में प्राबधानित अनुसार 03 वर्ष की परिविक्षावधि में उन्हें निम्नानुसार स्टायपेण्ड देय होगा

प्रथम वर्ष	–	पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत
द्वितीय वर्ष	–	पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत
तृतय वर्ष	–	पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत

नियुक्ति के लिए अपात्रता :–

1. कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु सीमा के पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति की पात्र नही होगा।

2. कोई भी पुरूष उम्मीदवार, जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों और कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नही होगा/नहीं होगी।

3. किसी भी उम्मीदवार की सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसे स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाये, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ और सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक या शारीरिक दोष से मुक्त न पाया जाये।

4. कोई भी उम्मीदवार किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि ऐसी जाँच के बाद, जैसी कि आवश्यकता समझी जाये, नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाय कि वह सेवा या पद के लिए किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।

5. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परन्तु जहां तक किसी उम्मीदवार के विरूद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हो तो उसकी नियुक्ति का मामला अपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने पर लंबित रखा जाये।

चयन प्रकिया :–

सहायक वर्ग 03 :– प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण उपरांत पात्र एवं अपात्र सूची का प्रकाशन जिला बलौदाबाजार–भाटापारा के वेबसाईट www.balodabazar.gov.in में तथा सूचना पटल पर चस्पा किया जावेगा। उक्त संबंध में कोई दावा आपत्ति हो तो अभ्यर्थी सूची प्रकाशन/चस्पा किये जाने की तिथि से 07 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। दावा आपत्ति निराकरण पश्चात् न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव में प्राप्त अंको को जोड़कर मेरिट सूची जारी कर 01 पद के विरूद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु अवसर प्रदान की जावेगी। समान अंक होने की स्थिति में जन्म तिथि के आधार पर वरिष्ठ को कौशल परीक्षा हेतु अवसर प्रदान की जावेगी। यदि जन्मतिथि भी समान होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जिस अभ्यर्थी का नाम प्रथम आएगा उसके कौशल परीक्षा हेतु अवसर प्रदान की जावेगी। यह अंतिम चयन सूची में भी लागू।

भृत्य की चयन प्रकिया

प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण उपरांत पात्र एवं अपात्र सूची का प्रकाशन जिला बलौदाबाजार–भाटापारा के वेबसाईट www.balodabazar.gov.in में तथा सूचना पटल पर चस्पा किया जावेगा। उक्त संबंध में कोई दावा आपत्ति हो तो अभ्यर्थी सूची प्रकाशन/चस्पा किये जाने की तिथि से 07 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। दावा आपत्ति निराकरण पश्चात् न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों की प्रवीण्यता (मेरिट) के आधार पर चयन किया जावेगा। समान अंक होने की स्थिति में जन्म तिथि के आधार पर वरिष्ठ अवसर प्रदान की जावेगी। यदि जन्मतिथि भी समान होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जिस अभ्यर्थी का नाम प्रथम आएगा उन्हें चयन किया जाएगा।

(चयन समिति द्वारा अनुमोदित)

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला बलौदाबाजार–भाटापारा छ.ग.

सहायक ग्रेड–03/भृत्य पद हेतु आवेदन पत्र

आवेदन का प्रारूप

स्वयं के द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटो का नवीनतम फोटो चस्पा करे

प्रति,

कार्यालय कलेक्टर
(महिला एवं बाल विकास विभाग) प्रथम तल कक्ष क. 83
बलौदाबाजार, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.)

1. आवेदित पद का नाम :– ....
2. आवेदक का नाम (हिन्दी में) :– ....
   (अंग्रेजी के बड़े अक्षर में) :– ....
3. पिता/पति का नाम :– ....
4. स्थायी पता :– ....
   ....
   ....
5. (पत्र व्यवहार का पता) :– ....
   ....
   ....
   दूरभाष/मोबाईल ....
6. जन्मतिथि (अंको में) :– ....
   (शब्दों में) ....
7. दिनांक 01.01.2023 को आयु :– ....
8. लिंग पुरूष/महिला :– ....
9. जाति/वर्ग (अ.जा/अ.ज.जा./अ.पि.व./सामान्य) जाति .... वर्ग ....
10. क्या आवेदक शासकीय/अर्द्ध शासकीय संस्था में सेवारत है ? :– ....
11. क्या अभ्यर्थी छ.ग. का मूल निवासी है (हां/नहीं) :– ....
12. क्या अभ्यर्थी दिव्यांग है (हां/नहीं) :– ....
13. यदि दिव्यांग है तो दिव्यांगता का प्रकार एवं प्रतिशतः– ....
14. क्या अभ्यर्थी भूतपूर्व सैनिक है (हां/नहीं):– ....
15. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन कमांक एवं दिनांकः– ....
16. विवाहित/अविवाहित/विधुर/परित्यक्ता :– ....
17. यदि आप विवाहित है तो विवाह की तिथि एवं जीवित बच्चों की संख्या :– ....
18. क्या अभ्यर्थी के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज है:– ....

19. शैक्षणिक योग्यता :– (जन्मतिथि एवं समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की सत्यापति प्रति संलग्न करें)

क्रं.	उत्तीर्ण परीक्षा	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड/संस्था का नाम	प्राप्तांक/ पूर्णांक	प्रतिशत	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7

20. अनुभव का विवरण

क.	विभाग का नाम	पदनाम	वेतन	दिनांक से	दिनांक तक	कुल अवधि

21. अनिवार्य संलग्नकों की सूची– (स्व प्रमाणित कर संलग्न करे)

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....
8. ....
9. ....
10. ....

आवेदक का हस्ताक्षर एवं नाम

<u>घोषणा– पत्र</u>

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि इस प्रपत्र में दिए गए समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि ये असत्य पाए जाते हैं, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी और मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक का हस्ताक्षर

स्थान :– ....

दिनांक :– ....